



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04, फर्रुखाबाद।
उपस्थित:- दीपेन्द्र कुमार सिंह-I.....एच०जे०एस० J.O.Code-U.P.2720

सत्र वाद संख्या-412/2022

राज्य बनाम उर्मिला देवी

मुकदमा अपराध संख्या-668/2018

धारा-138 (1)(B) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

थाना-मऊदरवाजा, जनपद-फर्रुखाबाद।

दिनांक: 22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता/अभियुक्त उर्मिला देवी पत्नी ब्रजेश कुमार द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि, उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमे में सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त करने की याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि सहित सम्पूर्ण अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र, पत्रांक 4767/वि०न०वि०ख०/दिनांक 21.07.2026 से हो रही है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि, अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.07.2026 को प्रशमन शुल्क, बकाया राजस्व निर्धारण शुल्क अदा कर दिया गया है तथा वाद से सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष नहीं है।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, (अधिनियम संख्यांक-36) की धारा-152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर), अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि- उपधारा (1) के अनुसार, धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर, उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

इस भाँति, अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित मामले का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही का, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। चूँकि उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(दीपेन्द्र कुमार सिंह-I)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-04, फर्रुखाबाद।